तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **राजस्व अपील संख्या 91/2019** **तेजसिंह बनाम देवीसिंह वगैरा**	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2021	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक श्री गुलाब सिंह चम्पावत ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अपील विड्रो करने का पेश किया। अपीलान्ट अभिभााषक ने अपने प्रार्थना–पत्र में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 12.09.1998 को पारित किये गये आदेश के विरूद्ध पेश की है, उक्त विवादित भूमि मौजा दईपड़ा खिचियान तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नं0 143 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 92 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 143 रकबा 54 बीघा कुल रकबा 70 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नं0 93/10 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन बाड़ा व खसरा नं0 80 रकबा 46 बीघा 04 बिस्वा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि स्थित है। तहसीलदार लूणी द्वारा बंटवाडा किया गया परन्तु सभी सहखातेदारों को बराबर–बराबर हक हिस्सा नहीं दिया गया। अपीलान्ट तेजसिंह के बंट में उक्त भूमि में से 1/5 हिस्सा बंट में आता था परन्तु अपीलान्ट को अपने हिस्से के अनुसार बंट में जमीन नहीं दी गई। इस कारण अपीलान्ट ने अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के लिये श्रीमान के न्यायालय मे अपील पेश जो विचाराधीन है। अपीलान्ट अभिभाषक ने आगे बतलाया कि अपीलान्ट के बंट में उक्त खसरान् की भूमि में 05 बीघा भूमि बंट में आती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 देवीसिंह पुत्र जोगसिंह ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 7/1 रकबा 56 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि में से 05 बीघा कृषि भूमि अपीलान्ट तेजसिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 12.03.2021 को निष्पादित कर दिया तथा अपीलान्ट को हक हिस्से की भूमि प्राप्त हो गई, इस कारण अपीलान्ट उक्त अपील को चलाना नहीं चाहता है। अतः अपील जरिये विड्रोल खारिज करने का आदेश फरमावें। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् अपील विड्रो करने का स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील/तामिल दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified (मदन लाल नेहरा) Digitally signed by Madan Lal Nehra अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) Date: 2022.11.22 17:17:22 IST जोधपुर Reason: SelfAttested	